झारखण्ड सरकार

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

सं0सं0–10/टाना भगत विकास प्राधिकार–17/2017 2121/रा., राँची, दिनांक 28-08-17

:: **संकल्प** ::

विषयः– **टाना भगत विकास प्राधिकार (Tana Bhagat Development Authority) के गठन के संबंध में।**

1. इस राज्य में टाना भगत अनुसूचित जनजाति समुदाय से है। उराँव संत स्व0 जतरा भगत एवं तुरिया भगत द्वारा टाना भगत का गठन किया गया था। ये लोग 1914 के टाना भगत आंदोलन से संबंधित है। महात्मा गाँधी के सत्याग्रह आंदोलन के पूर्व इनके द्वारा सत्याग्रह आंदोलन किया गया था। यह आंदोलन मुख्य रूप से अंग्रेजों के शासन एवं जमींदारी प्रथा के विरूद्ध किया गया था। ये लोग महात्मा गाँधी के अनुयायी हैं एवं अहिंसा में विश्वास रखते हैं। ये अभी भी खादी कुर्ता, धोती एवं गाँधी टोपी पहनते हैं। ये लोग मुख्य रूप से राँची, सिमडेगा, लोहरदगा, गुमला, खूँटी, चतरा एवं लातेहार जिला में रहते हैं।

2. इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है एवं मुख्यधारा से अलग हैं। इन्हें मुख्यधारा में लाने एवं इनके सर्वांगीण विकास हेतु इनपर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता को समझते हुए राज्य सरकार द्वारा बजट भाषण में ''टाना भगत विकास प्राधिकार'' का गठन किये जाने की घोषणा की गई है एवं इस निमित्त मुख्य शीर्ष–2029–भू–राजस्व, लघुशीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उप योजना, उपशीर्ष–21–टाना भगत विकास प्राधिकार को अनुदान के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए 10 (दस) करोड़ रूपये अनुदान के रूप में बजट प्रावधान किया गया है।

3. ''टाना भगत विकास प्राधिकार'' का स्वरूप निम्नवत् है :–

(क) नाम – ''टाना भगत विकास प्राधिकार'' होगा एवं इसे सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के अंतर्गत निबंधित कराया जायेगा।

(ख) ''टाना भगत विकास प्राधिकार'' का क्षेत्राधिकार वैसे सभी जिला होगा, जहाँ टाना भगत रहते हैं।

(ग) ''टाना भगत विकास प्राधिकार'' के लिए राज्य स्तरीय समिति का गठन निम्नवत् प्रस्तावित है –

(i) मुख्य सचिव, झारखण्ड — अध्यक्ष

(ii) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, योजना–सह–वित्त विभाग — सदस्य

(iii) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, ऊर्जा विभाग, — सदस्य

(iv) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, कल्याण विभाग — सदस्य

(v) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग — सदस्य सचिव

(vi) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग — सदस्य

(vii) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग — सदस्य

(viii) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग– सदस्य

(ix) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, समाज कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग — सदस्य

(x) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, ग्रामीण विकास विभाग — सदस्य

(xi) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग — सदस्य

[redacted]

(xii) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग — सदस्य

(xiii) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग — सदस्य

(xiv) अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र में कार्यरत गैर सरकारी संस्थानों के सरकार द्वारा मनोनीत दो प्रतिनिधि — सदस्य

(xv) टाना भगत समूह के विकास में अभिरूचि/अनुभव रखने वाले सरकार द्वारा मनोनीत दो विशेषज्ञ— सदस्य।

सामान्य निकाय टाना भगत समूह के आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान के लिए बनायी गई समेकित रणनीति का सृजण, योजनाओं का अनुश्रवण एवं प्राधिकार के कार्यों के निष्पादन हेतु नीति मूलक निर्देश देगी।

(ख) राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के अन्तर्गत प्राधिकार की एक कार्यकारिणी समिति होगी जिसका गठन निम्नवत् प्रस्तावित है :—

(i) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग— अध्यक्ष

(ii) योजना—सह—वित्त विभाग के प्रतिनिधि — सदस्य

(iii) ऊर्जा विभाग के प्रतिनिधि — सदस्य

(iv) प्रभारी संयुक्त सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग — सदस्य सचिव

(v) पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के प्रतिनिधि — सदस्य

(vi) स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के प्रतिनिधि — सदस्य

(vii) स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रतिनिधि — सदस्य

(viii) समाज कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के प्रतिनिधि — सदस्य

(ix) ग्रामीण विकास विभाग के प्रतिनिधि — सदस्य

(x) नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रतिनिधि — सदस्य

(xi) कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के प्रतिनिधि — सदस्य

(xii) वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के प्रतिनिधि — सदस्य

(xiii) अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र में कार्यरत गैर सरकारी संस्थानों के सरकार द्वारा मनोनीत दो प्रतिनिधि — सदस्य

(xiv) टाना भगत समूह के विकास में अभिरूचि/अनुभव रखने वाले सरकार द्वारा मनोनीत दो विशेषज्ञ — सदस्य

कार्यकारिणी का कार्य प्राधिकार के सामान्य निकाय द्वारा निर्धारित नीतियों के आलोक में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित की जानेवाली योजनाओं के मध्य सामंजस्य स्थापित करते हुए टाना भगत बहुल क्षेत्रों के विकास के लिए योजनाओं का सूत्रीकरण एवं उनके कार्यान्वयन हेतु नीति निर्धारण करना, योजनाओं का अनुश्रवण करना तथा योजना कार्यान्वयन के लिए राशि की व्यवस्था करना होगा।

(ग) जिला स्तर पर टाना भगत विकास प्राधिकार के अन्तर्गत कार्यकारी एजेन्सी के रूप में अपर समाहर्त्ता नोडल पदाधिकारी के रूप में कार्य करेंगे। कार्यकारी एजेन्सी को प्रभावी बनाने एवं योजनाओं के त्वरित निष्पादन हेतु जिला स्तर पर टाना भगत विकास प्राधिकार की कार्यकारी एजेन्सी हेतु समिति का गठन निम्नवत् प्रस्तावित है :

[redacted]

(i) उपायुक्त — अध्यक्ष

(ii) उप–विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद — उपाध्यक्ष

(iii) अपर समाहर्त्ता — सदस्य सचिव

(iv) जिला के माननीय सांसद — सदस्य

(v) जिला के माननीय विधान सभा सदस्य — सदस्य

(vi) जिला के माननीय मंत्री (यदि कोई हो) के प्रतिनिधि — सदस्य

(vii) टाना भगत समूह बहुल प्रखंड के प्रखंड प्रमुख — सदस्य

(viii) परियोजना निदेशक, आई.टी.डी.ए. / जिला कल्याण पदाधिकारी — सदस्य

(ix) प्रमण्डलीय वन पदाधिकारी — सदस्य

(x) सिविल सर्जन — सदस्य

(xi) जिला शिक्षा पदाधिकारी / जिला शिक्षा अधीक्षक — सदस्य

(xii) कार्यपालक अभियन्ता, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग — सदस्य

(xiii) कार्यपालक अभियन्ता, ऊर्जा विभाग — सदस्य

(xiv) कार्यपालक अभियन्ता, ग्रामीण कार्य विभाग — सदस्य

(xv) जिला योजना पदाधिकारी — सदस्य

(xvi) जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, समाज कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग — सदस्य

(xvii) टाना भगत समूह से संबंधित प्रखण्ड के प्रखण्ड विकास पदाधिकारी — सदस्य

(xviii) टाना भगत समूह से संबंधित अंचल के अंचल अधिकारी — सदस्य

(च) <u>राज्य सरकार द्वारा गठित प्राधिकार के मुख्य उद्देश्य निम्नवत होंगे :–</u>

(i) टाना भगत समूह बहुल क्षेत्रों में टाना भगतों का सामाजिक एवं आर्थिक सर्वेक्षण।

(ii) टाना भगतों के सर्वांगीण विकास हेतु केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा विभिन्न मंत्रालयों के अंतर्गत संचालित की जा रही विभिन्न योजनाओं को उनके बहुल क्षेत्रों के लिए चिन्हित करना एवं उनके लिए राशि का प्रबंधन तथा कार्यान्वयन के लिए मार्ग निदेश प्रदान करना होगा।

जिला स्तर पर स्थापित कार्यान्वयन एजेन्सी के द्वारा अति टाना भगत समूह बहुल ग्रामों मे लक्षित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु योजनाओं का चयन करते हुए सक्षम प्राधिकार से पारित कराकर विभागीय स्तर पर समेकित रूप से प्रतिवेदन उपलब्ध करायी जाएगी जिसे प्राधिकार के सामान्य निकाय से अनुमोदनोपरान्त कार्यान्वयन की कार्रवाई की जाएगी।

(iii) जिला स्तर पर कार्यान्वयन एजेन्सी के द्वारा योजनाओं के सम्बन्ध में स्थल / लाभुकों का चयन प्राधिकार द्वारा निर्धारित नीति एवं प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा।

(iv) कार्यान्वयन एजेन्सी के द्वारा प्राधिकार द्वारा अनुमोदित योजनाओं के सम्बन्ध में समीक्षोपरान्त प्रगति प्रतिवेदन विभाग स्तर पर गठित कार्यकारिणी समिति को प्रत्येक माह उपलब्ध करायी जाएगी।

(v) प्राधिकार के सामान्य निकाय / प्राधिकार की कार्यकारिणी एवं कार्यकारी एजेन्सी द्वारा विभिन्न स्तरों पर विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित करते हुए लक्षित वर्ग के लिए योजनाओं के निष्पादन हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

[redacted]

(vi) प्राधिकार के द्वारा टाना भगत समूह बहुल क्षेत्र में आनेवाले ग्रामों के सम्बन्ध में पूर्ण डाटाबेस तैयार किया जायगा और समय-समय पर प्राधिकार द्वारा चलाये जा रहे कार्यक्रमों एवं योजनाओं के प्रभाव एवं उनकी उपयोगिता के सम्बन्ध में सर्वेक्षण तथा अध्ययन करते हुए भविष्य के लिए प्रभावकारी योजना तैयार की जायगी।

(vii) प्राधिकार के द्वारा टाना भगत समूह बहुल क्षेत्र के विकास के लिए सरकार द्वारा सौंपे गये अन्य कार्य किये जायेंगे।

(छ) राज्य सरकार द्वारा गठित प्राधिकार में निम्न शक्तियाँ निहित होगी :–

(i) टाना भगत समूह बहुल क्षेत्र के विकास हेतु योजना तैयार करना एवं उन्हें स्वीकृति प्रदान करना।

(ii) टाना भगत समूह बहुल क्षेत्र के विकास हेतु चलायी जा रही योजनाओं के सम्बन्ध में प्रतिवेदन प्राप्त करना।

(iii) टाना भगत समूह बहुल क्षेत्र में चल रहे कार्यों एवं उनसे सम्बन्धित संस्थाओं, कार्यालयों एवं अभिलेखों निरीक्षण करना।

(iv) टाना भगत समूह बहुल क्षेत्र में चल रहीं योजनाओं के सम्बन्ध में शिकायतों का निवारण हेतु प्रतिवेदन प्राप्त करना एवं उस पर निदेश/मार्गदर्शन देना।

(v) टाना भगत समूह बहुल क्षेत्र में सम्बन्धित समुदाय के उत्थान से सम्बन्धित कार्यों की वार्षिक उपलब्धि का आकलन करते हुए सम्बन्धित पदाधिकारियों के गोपनीय चारित्री में अभ्युक्ति हेतु अनुशंसा करना।

(vi) टाना भगत समूह बहुल क्षेत्र में सम्बन्धित समुदाय के हितों को सुनिश्चित करने हेतु टाना भगत विकास प्राधिकार को जिला स्तर पर कार्यरत सभी सरकारी नियंत्रणाधीन निगमों, संस्थाओं, प्राधिकारों में प्रतिनिधि भेजना।

(vii) इस प्राधिकार को वही वित्तीय शक्तियाँ प्रदत्त होगी जो जिला ग्रामीण विकास अभिकरण को वर्त्तमान में है एवं जो समय-समय पर प्रवृत्त होगी।

(viii) सम्बन्धित उपर्युक्त टाना भगत समूह बहुल गाँव की योजनाओं की तकनीकी अनुमोदन/अनुश्रवण इत्यादि कार्यों के लिए कार्यपालक अभियन्ता तथा तकनीकी अधिकारी को नामित/प्रतिनियुक्त करेंगे एवं आवश्यकतानुसार अभियन्ताओं की सेवा संविदा/आउटसोर्सिंग पर प्राप्त किया जा सकेगा।

अतः मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक–26.04.2017 के मद संख्या–21 में लिये गये निर्णय के आलोक में टाना भगत विकास प्राधिकार (**Tana Bhagat Development Authority**) का गठन किया जाता है।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में सर्वसाधारण को जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।

28/04/17

(कमल किशोर सोन)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक–10/टाना भगत विकास प्राधिकार–17/2017 2121/रा0, रांँची, दिनांक– 28-04-17

प्रतिलिपि :–महालेखाकार, झारखण्ड, रांँची/वित्त विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/04/17

सरकार के सचिव

कृ0पृ0उ0

[redacted]

ज्ञापांक–10/टाना भगत विकास प्राधिकार–17/2017 2121 /रा0, रॉंची, दिनांक– 28-04-17

प्रतिलिपि :–नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/04/17

सरकार के सचिव

ज्ञापांक–10/टाना भगत विकास प्राधिकार–17/2017 2121 /रा0, रॉंची, दिनांक– 28-04-17

प्रतिलिपि :–राज्यपाल के प्रधान सचिव, झारखण्ड, रॉंची/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, झारखण्ड, रॉंची/माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के आप्त सचिव/मुख्य सचिव, झारखण्ड, रॉंची/विकास आयुक्त, झारखण्ड, रॉंची/सदस्य, राजस्व पर्षद/सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/सभी अपर समाहर्त्ता, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/04/17

सरकार के सचिव